फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

वेदव्रत शर्मा   बनाम उप तहसीलदार गोविन्दगढ व अन्य

केस संख्या 194/2021 (मुन्तकिल प्रार्थन पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
07.02.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उप तहसीलदार गोविन्दगढ के पीठासीन श्री गिरधारी लाल पारीक का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने उप तहसीलदार गोविन्दगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 78/2021 व उनवानी सरकार बनाम वेदव्रत शर्मा में पीठासीन अधिकारी श्री गिरधारी लाल पारीक से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। उप तहसीलदार गोविन्दगढ के तत्कालीन पीठीसंन अधिकारी श्री गिरधारी लाल पारीक का अन्य. स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलेक्टर जयपुर	